

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.- 62

दिनांक: 06.11.2024


:: कार्यालय आदेश ::

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (C) में उल्लिखित कदाचार के संबंध में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु समिति का गठन।

महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 30.10.2024 द्वारा इस कार्यालय (भोपाल शाखा सहित) की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.-57 दिनांक 02.09.2024 द्वारा गठित समिति की सदस्य सुश्री नसरीन हनफी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर सुश्री आरती लखेरवाल, सहायक लेखा अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। तदनुसार उक्त समिति अब निम्नानुसार होगी :-

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 1. सुश्री मीना बिष्ट, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
राजस्थान, जयपुर | - | अध्यक्षा |
| 2. श्री एच.एस. परस्ते, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | - | सदस्य |
| 3. श्री प्रशांत ढबले, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | - | सदस्य |
| 4. सुश्री आरती लखेरवाल, सहायक लेखा अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. सुश्री सौम्या शर्मा, लेखापाल | - | सदस्य |
| 6. सुश्री प्रियंका सिंह, Head Of Operations,
संभव समाज सेवा संगठन, गार्गी हाउस, बलवंत नगर,
गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) | - | सदस्य |

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 30.10.2024)


उप महालेखाकार (प्रशासन)